राजस्थान सरकार

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1975-76

निदेशालय

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान–बीकानेर

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

राजस्थान सरकार

वार्षिक विभागीय

प्रशासनिक प्रतिवेदन

1975-76

निदेशालय

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान—बीकानेर

NIEPA DC

D01869

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

1975-76

राजस्थान - सामान्य परिचय एवं भौगोलिक स्थितिः

राजस्थान राज्य 23 रियासतों के एकीकरण का प्रतिफल है । भारत के मानचित्र में पश्चिमी किनारे पर $23^{0}3$ और $30^{0}12$ उत्तरी अक्षांश तथा $69^{0}30$ और $78^{0}7$ पूर्व देशान्तर के बीच विद्यमान है । इस राज्य का आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है । राज्य का क्षेत्रफल 3,42,214 वर्ग किलो मीटर है, जो मध्य प्रदेश के पश्चात् अन्य राज्यों से बड़ा है । राजस्थान में 26 जिले हैं, ये जिले परस्पर काफी असमान हैं । एक तरफ डूंगरपुर जिला राज्य का सबसे छोटा जिला है, तो जैसलमेर भारत का ही नहीं वरन् एशिया का सबसे बड़ा जिला कहलाता है ।

जन संख्या प्रतिवेदन 1971 के अनुसार राजस्थान की कुल जन संख्या 257.66 लाख है, जिसमें 134.84 लाख पुरुष एवं 122.82 लाख महिलाएँ हैं । जन संख्या का घनत्व 75 व्यक्ति प्रति किलो मीटर आता है । जिला स्तर पर जन संख्या का घनत्व काफी विविधतापूर्ण है । जैसलमेर में 4 व्यक्ति प्रति किलो मीटर का घनत्व पाया जाता है तो भरतपुर में 184 व्यक्तियों का ।

राज्य में जन संख्या का 82.37 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तथा 17.63 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्र में । साक्षरता का प्रतिशत 19.07 रहा, जिसमें 28.74 प्रतिशत पुरुष एवं 8.46 महिलाएँ थीं । शहरी क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 43.47 था और ग्रामीण क्षेत्र में 13.85 । इस विभिन्नता से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा ध्यान के संदर्भ में ज्यादा जागरूक हैं । अनुसूचित जाति व जन जाति में साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 9.14 एवं 6.47 रहा ।

राजस्थान राज्य में 26 जिले, 232 पंचायत समितियाँ, 157 कस्बे/शहर 33305 निवास योग्य गांवों तथा 2490 अनिवास योग्य गांव हैं ।

राज्य में 197. में 6-11, 11-14 व 14-17 आयु वर्ग की जनसंख्या तथा इस आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रतिशत निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है। यह सारणी शैक्षिक जगत में इस सत्र में हुई छात्र संख्या में वृद्धि का प्रतिबिम्ब है जिससे ज्ञात हो जाता है कि राज्य में शिक्षा में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

सारणी -1

(संख्या लाखों में)

आयु वर्ग	जनसंख्या (अनुमानित)			शाला जाने वालों की संख्या (अनु.)		
	लड़के	लड़कियाँ	योग	लड़के	लड़कियाँ	योग
6-11	21.22	19.24	40.46	18.17	5.86	24.03
11-14	11.40	10.38	21.78	4.52	1.07	5.59
14-17	10.25	9.43	19.68	2.32	0.46	2.76

(1) शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप

(क) मुख्यालय स्तर पर

शिक्षा विभाग को समुचित चलाने एवं उसका बहुमुखी विकास करने का भार [illegible] निदेशक, कॉलेज शिक्षा को उच्च शिक्षा संबंधी तथा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को, उच्च माध्यमिक स्तर तक प्रदान किया गया है। यह दो निदेशालयों के द्वारा होता है। निदेशक कॉलेज शिक्षा का मुख्यालय जयपुर रखा गया है और निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय बीकानेर है।

इस सत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री इन्द्रजीत खन्ना रहे। जो दिनांक 1-2-75 से निरन्तर इस गुरु भार को वहन कर रहे हैं। इनके कार्य में सहायता देने हेतु निदेशालय स्तर पर निम्न अधिकारी वर्ग सहायता प्रदान करते हैं :

(1) अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
(2) संयुक्त निदेशक
(3) उप निदेशक (सामान्य प्रशासन)
(4) उप निदेशक (प्राथमिक)
(5) उप निदेशक (माध्यमिक)
(6) उप निदेशक (समाज शिक्षा)
(7) उप निदेशक ([illegible])
(8) उप निदेशक कनिष्ठ (योजना)

(8) वरिष्ठ लेखाधिकारी

(9) सहायक निदेशक (अल्प बचत)

(10) सहायक निदेशक (समाज शिक्षा)

(11) जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक)

(12) जिला शिक्षा अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक)

(13) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (वरिष्ठता)

(14) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (शिक्षक प्रशिक्षण)

(15) लेखाधिकारी

(16) उप जिला शिक्षा अधिकारी (विधि)

(17) उप जिला शिक्षा अधिकारी (स्थापन्न)

(18) उप जिला शिक्षा अधिकारी (अनुदान)

(19) उप जिला शिक्षा अधिकारी (विभागीय परीक्षाएं)

(20) उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)

(21) उप जिला शिक्षा अधिकारी (अनु...)

(22) सहायक लेखाधिकारी (3)

(23) सम्पादक, विभागीय पत्रिका

(26) निजी सहायक निदेशक महोदय

(27) प्रशासनिक अधिकारी (योजना)

(ग) क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन का स्वरूप

सम्पूर्ण राज्य को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। (1) जोधपुर-बीकानेर, (2) जयपुर-अजमेर, (3) उदयपुर-कोटा परिक्षेत्र, इन परिक्षेत्रों में छात्र एवं छात्राओं के शिक्षा विकास हेतु संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पुरुष एवं महिला) को उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। जयपुर-अजमेर परिक्षेत्र में संयुक्त निदेशक पद स्थापित है तथा जोधपुर-बीकानेर व उदयपुर कोटा परिक्षेत्रों में उप निदेशक पुरुष एवं महिला के पद है। अपने परिक्षेत्र में सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने के लिये ये उत्तरदायी है।

(घ) जिला स्तरीय प्रशासन

प्रत्येक जिले में एक-2 पद जिला शिक्षा अधिकारी का स्थापित है। जो अपने जिले में सकल प्रकार के शैक्षणिक विकास का कार्य संचालन करते है। इस प्रकार प्रशासन का स्वरूप विकेन्द्रीकृत रखा गया है ताकि सामान्य प्रकार की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही हो जाये। उन जिलों में जहाँ कार्य भार ज्यादा है, वहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी का एक अतिरिक्त पद दिया गया है - जोधपुर में तथा अन्य जिलों में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पदों का प्रावधान है, ये पद राजसमन्द, ब्यावर, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर में है। राजस्थान नहर परियोजना से विकास कार्य द्रुतगति से हो रहा है। अतः इस नहर अनूपगढ़ में उप जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया गया है ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा का समुचित उत्थान हो सके।

स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है । जैसा प्रशासनिक संगठन का स्वरूप पुरुष वर्ग का है उसी प्रकार का स्वरूप स्त्री शिक्षा का भी रखा गया है । तीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों (छात्राऐं) के कार्यालय है जो बीकानेर, अजमेर एवं कोटा में है । इन कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य जिलों में उपजिला क्रमशः जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, सीकर, पाली, चित्तौडगढ़, नागौर, झालावाड एवं सवाई माधोपुर है । छात्राओं के विद्यालयों से सम्बद्ध ये कार्यालय स्त्री शिक्षा के उत्थान में, प्रगति में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते है ताकि इस क्षेत्र में वांछित प्रगति की जा सके ।

( ) विशिष्ट अभिकरण

उपरोक्त प्रशासनिक संगठन के अतिरिक्त शिक्षा जगत में, उत्पन्न विकास के कार्यों से सम्बद्ध रहने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु तथा उन्नति के लिए विशेष प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है । जो अनुसंधान और विशिष्ट प्रकार के कार्यों से सम्बद्ध है । ये अभिकरण निम्नवत् है जो आपेक्षित योगदान दे रहे है :-

क्र0 सं0	संस्था का नाम	मुख्यालय	स्टाफ
1	राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन केन्द्र.	उदयपुर	उप निदेशक 1 काउंसलर 1 साइकोलोजिस्ट 1
2	राज्य शिक्षा संस्थान	उदयपुर	निदेशक 1 उप निदेशक 1 क. उप निदेशक 1 अनुसंधान अधि. 4 सहायक निदेशक 4
3	राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान	उदयपुर	निदेशक 1 वरिष्ठ व्याख्याता 2 प्रदेशिक 2 व्याख्याता 4 मूल्यांकन अधि. 1 अनुसंधान अधि. 3
4	राज्य शिक्षा संस्थान(पत्राचार शाखा)	उदयपुर	उप निदेशक 1 सहायक निदेशक 5

क्र.सं.	संस्था का नाम	मुख्यालय	कार्यरत स्टाफ
5	राज्य मूल्यांकन इकाई	उदयपुर	मूल्यांकन अधि-1 अनुसंधान ,, 3
6	राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक निगम	जयपुर	सचिव 1 शिक्षाधिकारी 2
7	अल्प शाखा	बीकानेर	शिक्षाधिकारी 1

(घ) आलोच्य वर्ष में महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तन एवं निर्णयः

(1) 4 दिसम्बर, 1975 को विभाग में कार्यालय सहायकों के 70 नये पद सृजित किये गये।

(2) माह मई-जून, 1976 में कार्यालय सहायकों के पदों पर विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किया गया।

(3) राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई तथा निम्न कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया गया।

(क) कार्यालय सहायक

(ख) वरिष्ठ लिपिक

(ग) कनिष्ठ लिपिक

(घ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(4) विभाग में 920 प्रयोगशालाओं के पदों का सृजन हुआ जिन पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ की गई।

(5) 28, 29 जनवरी, 1976 को शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक सम्मेलन बीकानेर में आयोजित किया गया।

(6) अनुसूचित कल्याण समिति की बैठक 20-20-76 को जयपुर में आयोजित हुई।

(7) अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति की बैठक 9-7-1976 को जयपुर में आयोजित हुई।

(8) राजस्थान विधान सभा आश्वासन समिति की बैठक 1-12-75 को जयपुर में आयोजित की गई जिसमें विभाग के 36 आश्वासनों को क्रियान्वित हुए मान लिए गये।

क्र.सं.	संस्था का नाम	मुख्यालय	कार्यरत स्टाफ
5	राज्य मूल्यांकन संस्थान	उदयपुर	मूल्यांकन अधि.-1 अनुसंधान ,, 3
6	राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक निगम	जयपुर	सचिव 1 शिक्षाधिकारी 2
7	अल्प धारा	बीकानेर	शिक्षाधिकारी 1

(घ) आलोच्य वर्ष में महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तन एवं निर्णय:

(1) 4 दिसम्बर, 1975 को विभाग में कार्यालय सहायकों के 70 नये पद सृजित किये गये।

(2) माह मई-जून, 1976 में कार्यालय सहायकों के पदों पर विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किया गया।

(3) राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई तथा निम्न कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया।

(क) कार्यालय सहायक
(ख) वरिष्ठ लिपिक
(ग) कनिष्ठ लिपिक
(घ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(4) विभाग में 920 सहायकों के पदों का सृजन हुआ जिन पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ की गई।

(5) 28, 29 जनवरी, 1976 को शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक सम्मेलन बीकानेर में आयोजित किया गया।

(6) अनुसूचित कल्याण समिति की बैठक 20-20-76 को जयपुर में आयोजित हुई।

(7) अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति की बैठक 9-7-1976 को जयपुर में आयोजित हुई।

(8) राजस्थान विधान सभा आश्वासन समिति की बैठक 1-12-75 को जयपुर में आयोजित की गई जिसमें विभाग के 36 आश्वासनों को क्रियान्वित हुए मान लिए गये।

(9) राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत संशोधन करते हुए दिनांक 2-9-75 से सेवा काल 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की अवधि सम्बन्धी आदेश प्राप्त हुए ।

(2) शैक्षिक प्रगतिः (अ) प्राथमिक शिक्षा

1) पंचायत समितियों के लिए 130 अतिरिक्त तृतीय वेतन श्रृंखला के पद सृजित किये गये और उन्हें जिलेवार आवंटित किया गया ।

2) पंचायत समितियों को शिक्षा कर लगाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए 5.8 लाख रुपये का प्रावधान किया गया ।

3) 50 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया गया जिसके लिए 50 पद द्वितीय वेतन श्रृंखला के तथा 50 पद अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सृजित किये गये ।

4) आदर्श विद्या मन्दिर समिति जयपुर तथा भारतीय शिक्षा प्रचार समिति, उदयपुर को अवैध घोषित किये जाने पर इनके द्वारा संचालित 6 प्राथमिक, 5 उच्च प्राथमिक, 1 माध्यमिक, 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय का अस्थाई संचालन राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किया गया ।

5) सेवा संघ बांसवाडा द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक शालाओं को राज्याधीन ले लिया गया तथा रामवाडा उच्च प्राथमिक शाला को भी राज्याधीन लिया गया ।

6) ऐसे बालक जो कतिपय कारणों से शिक्षा से वंचित रह गये हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि वे कार्यरत रहते हुए भी अपनी सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें । गत वर्ष 6 जिलों में 12 साक्षरता शिक्षा केन्द्र तथा 300 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र 8 से 14 वर्ष की आयु के लिए स्थापित किये गये थे । इस वर्ष दो और जिलों में 100 केन्द्र स्थापित किए गये हैं । इसके अतिरिक्त 15 से 25 वर्ष के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र इस वर्ष प्रारम्भ किये गये हैं ।

7) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विज्ञान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य क्रम संशोधित एवं परिवर्धित किया गया । विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा यूनिसेफ के सहयोग से अब तक 5200 विज्ञान किट्स विद्यालयों को वितरित किये गये ।

8) राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान ने समस्त देश में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है, जहाँ वर्ष पर्यन्त अनेक अखिल भारतीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त इस सत्र में जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है वह यह कि राज्य सरकार ने सत्र 75-76 से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों व देहाती चिकित्सालयों के मुख्यालयों पर स्थित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया इन सभी विद्यालयों में यह कार्यक्रम अगस्त, 1975 से प्रारम्भ किया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न सेवाएँ विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाती है ।

(अ) चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
(ब) विद्यालयों में स्वच्छ जल व्यवस्था हेतु टंकी का प्रावधान
(स) विद्यालयों में सेनिटरी लेटरीन का निर्माण
(द) स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क टीके लगाना एवं आयरन तथा विटामिन टेबलेट का वितरण ।
(ई) विद्यालयों में मेडिकल बॉक्स उपलब्ध कराना ।

यह पाठ्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रारम्भ किया गया । राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल द्वारा 1,25,000/- के स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क प्रदान किये गये तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत उप जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया । इस कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए जिला समितियों का गठन किया गया । राज्य स्तरीय समिति समय समय पर इस कार्यक्रम की क्रियान्विति का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देती है ।

<u>पूर्व प्राथमिक शिक्षा के भारतीय संघ का अधिवेशन</u>

पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अधिवेशन दिनांक 28-12-75 से 31-12-75 तक मेयो कॉलेज अजमेर में आयोजित किया गया । इस अधिवेशन में देश भर के शिक्षाविदों के अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापक व अध्यापिकाओं ने भाग लिया । इस प्रकार कुल 357 सम्भागी अधिवेशन में उपस्थित हुए । जिसमें 264 संभागी राजस्थान प्रदेश के थे । शेष अन्य प्रदेशों से आये हुए थे ।

प्राथमिक शिक्षा की रोहित कार्यक्रमों की उपलब्धियों को जो विस्तृत एवं सघन रूप विभाग ने किया है वह यह कि इस सत्र में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 19657 रही जिसमें 18701 विद्यालय छात्रों के तथा 956 छात्राओं के लिए रहे जिनमें कुल छात्र संख्या 16.07 लाख थी । इस छात्र संख्या में 12.30 लाख छात्र और 3.76 लाख छात्रायें थी तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र और छात्राओं की संख्या क्रमशः 1.68 लाख , 0.27 लाख तथा 1.20 लाख व 0.16 लाख थी । इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में जाने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 59.4 रहा है । जिसमें छात्र वर्ग का प्रतिशत 85.6 तथा छात्राओं का प्रतिशत 30-5 रहा है ।

प्राथमिक विद्यालयों की वृद्धि के साथ अध्यापक संख्या में भी समुचित रूप से वृद्धि हुई है । इन विद्यालयों में कुल अध्यापक संख्या 41.49 हजार रही जिसमें 33.43 हजार पुरुष तथा 8.05 हजार महिलायें अध्यापक के रूप में कार्य कर रही थी । कुल प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 33.92 हजार थी जिसमें 29.20 हजार पुरुष एवं 4.73 हजार महिलायें प्रशिक्षित थी । प्रतिशत के अनुसार 87.3% पुरुष 58.7% महिलायें प्रशिक्षित थी । कुल प्रतिशत का योग 81.8 प्रतिशत रहा ।

उपरोक्त संकेत इस बात के द्योतक है कि राज्य सरकार ने अपने सीमित साधनों से शिक्षा के विस्तार का पर्याप्त प्रयत्न किया है प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में विगत पाँच वर्षों में काफी वृद्धि हुई है फिर भी अभी तक 6 से 11 वर्ष के बालकों का केवल 59.4 प्रतिशत ही विद्यालयों में ला पाए है । इस दर से सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में अभी काफी समय लेगा ।

(ब) <u>उच्च प्राथमिक शिक्षाः</u>

(1) इस सत्र में कुल 4785 उच्च प्राथमिक शालायें थी जिनमें से 4177 शालायें छात्रों के लिए तथा 608 शालायें छात्राओं के लिए शिक्षा देने का कार्य कर रही थी । इन विद्या के मन्दिरों में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थी 10-64 लाख थे जिसमें से 8.16 लाख छात्र व 2.47 लाख छात्रायें थी ।

2) अनुसूचित जाति की छात्र संख्या जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़रही थी क्रमश 0.92 लाख एवं 0.11 लाख छात्र और

3) उच्च प्राथमिक 11 से 14 आयु वर्ग के कुल छात्र जो इन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे का प्रतिशत 25.7 रहा जिनमें 39.7 प्रतिशत और 10.3% छात्रायें विद्याध्ययन हेतु शाला को जाती है । यह प्रतिशत राज्य सरकार के सीमित साधनों के आधार पर तो निश्चय ही प्रशंसनीय है परन्तु इस ओर अभी काफी प्रयत्न किया जाना अपेक्षित है कोंकि विद्यालय जाने वालों की संख्या को अभी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन सभी विद्यार्थियों से शिक्षा प्रांगण में लाया जा सके जो अभी भी किन्हीं कारणों से शिक्षा सुविधा से वंछित है या जो किन्हीं भी कारणों से प्राथमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहे है ।

4) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस सत्र में कुल अध्यापक संख्या 43.59 हजार थी जिनमें 35.50 हजार पुरुष तथा 8.08 हजार महिलायें अध्ययन का कार्य कर रही थी । इस अध्यापक संख्या में 39.61 हजार अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त थे जिनमें 32.58 हजार पुरुष एवं 7.03 हजार महिलायें थी । प्रशिक्षित अध्यापकों का कुल प्रतिशत 92.7 रहा इसमें, 91.80 प्रति शत पुरुष एवं 87.0 प्रतिशत महिलायें रही ।

5) इस सत्र में 50 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया गया ।

~~6) xxx~~

(स) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा:

इस सत्र में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं सृजनात्मक सुधार हेतु कई नये कार्यक्रमों को अपनाया गया है ताकि शिक्षा [illegible] को [illegible] जीवनोन्मुखी बनाया जा xxx सके । इस हेतु जो कार्य किया गया उसका विवरण निम्नवत् है :-

1) विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों को अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिभा की अधिक से अधिक छात्र वृत्तियाँ मिल सके इस हेतु जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये ।

2) छात्रों में अपना रोजगार स्वयं चलाने की क्षमता उत्पन्न करने हेतु तथा शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की दृष्टि से गत वर्ष 6 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 'वोकेशनल' पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये और इस वर्ष 11 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये है ।

3) ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभावान बालकों का चयन करने तथा उन्हें छात्रवृत्ति देकर अधिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयों में पढ़ाने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति के 2 छात्रों को ऐसी छात्रवृत्तियाँ प्रदान करके 464 छात्रों को लाभ दिया जा रहा है ।

4) राज्य में खेलकूद की प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विभिन्न योजनाऐं जैसे स्पोर्ट्स की स्थापना, गेम्स स्कॉलरशिप, गेम्स ऐक्टरी क्रैयर, गेम्स हॉल की इयर राउन्ड, गेम्स कोलेक्स आदि प्रारम्भ की गई है इसके लिए 10 लाख रूपयों का प्रावधान है ।

5) भारत सरकार द्वारा 500 रेसिडेन्शियल स्कालरशिप सारे देश के लिए निर्धारित है जिनमें प्रतियोगिता के आधार पर अल्प आय वर्ग के छात्र/छात्राओं को पब्लिक विद्यालयों में अध्ययन करने हेतु छात्र वृत्तियाँ प्रदान की जाती है । इस वर्ष उक्त परीक्षा के लिए छात्रों को विशेष तैयारी करवाई गई है । फलस्वरूप राज्य के 21 विद्यार्थियों का इस छात्रवृत्ति हेतु चयन किया गया ।

6) केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग(साईट) कार्यक्रम से राज्य के तीन जिलों (जयपुर, कोटा व सवाईमाधोपुर) की जनता इन कार्यक्रमों से 7-8 माह से शैक्षणिक लाभ उठा रही है । इस योजना के अन्तर्गत 385 टेलीविजन सेट विभिन्न गांवों में लगाये गये है । जिनमें प्रातः काल विद्यार्थियों के लिए तथा सायं काल ग्रामीण जनता के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है । औसतन प्रत्येक सेट पर प्रतिदिन 27 बच्चे, 5 अध्यापक तथा 291 ग्रामीण लाभ प्राप्त करते है । इस टेलीविजन सेटों के कारण ग्रामीण अंचल में एक नया वातावरण बना है । विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है । कई कठिन प्रकरण समझने में उन्हें अधिक आसानी हुई है । ग्रामीण जनता में भी उन्नत कृषि के तरीके अच्छे बीज, उपयुक्त उर्वरक के उपयोग, भावात्मक एकता, स्वास्थ्य सेवाऐं नागरिक के कर्तव्य, परिवार नियोजन के लाभ आदि क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान अर्जित किया है

7) राज्य सरकार ने इस वर्ष जयपुर स्थित रवीन्द्र मंच को अपने अधीन लेकर इसे शहर की प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बनाने का प्रयास किया है। यहाँ बालकों के लिए स्वस्थ मनोरंजक शैक्षणिक चलचित्र समारोह भी आयोजित किया गया है। विदेशों से आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों ने भी यहाँ पर कार्यक्रम किये है।

8) बालकों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने तथा कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से आगामी सत्र से अत्यधिक विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

9) जीवन में विज्ञान एवं तकनीक के बढते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आज विज्ञान शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ गया है। अतः विज्ञान के पाठ्यक्रम को समुन्नत किया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में शनै शनै विज्ञान की प्रयोग शालाएँ भी स्थापित कर दी जावेगी।

10) माध्यमिक स्तर से शिक्षा पूरी किये बिना ही पढाई छोड देने वाले युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष 200 केन्द्र 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवकों के लिए स्थापित किये गये है।

11) राज्य के और अधिक बालकों का विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हो सके, इस दृष्टि से विज्ञान के छात्रों को व्यापक प्रशिक्षण देने हेतु शिविर आयोजित किये जावेंगे।

12) देश के पब्लिक स्कूलों में कम आय वर्ग के माता पिताओं के बच्चों के लिए निर्धारित 500 छात्रवृत्तियों में राजस्थान का भाग बहुत कम रहता है अतः छोटे बच्चे बालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा जिससे कि अधिक बालकों का इन छात्र वृत्तियों के लिए चयन हो सके।

13) ग्रीष्मकाल में विद्यालय भवन, उपकरण एवं पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग हो सके इस दृष्टि से इस सत्र में 'क्रियाशील अवकाश' की योजना को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत बालक 'सीखो कमाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं के श्रम उत्पादक कार्यों के द्वारा कुछ धन राशि कमा सकेंगे एवं व्यावसायिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। अनेक विषयों में कमजोर छात्रों के लाभार्थ विशेष कक्षाएँ आयोजित की जावेगी विद्यालयों के पुस्तकालय छात्रों एवं जनता के लिए खुले रहेंगे तथा खिलाडी छात्रों खेल मैदान पर विशेष अभ्यास कराया जावेगा।

14) राजस्थान देश के स्काउट एवं गाईड क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है । इस आन्दोलन को आगामी सत्र में अधिक व्यापक बनाया जावेगा ताकि प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग एवं गाईड प्रशिक्षण की व्यवस्थायें हो सके और इस प्रकार छात्र-छात्राओं के चरित्र निर्माण में सहयोग प्राप्त हो सके ।

15) चरित्र निर्माण के इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्र के वे युवक जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे है (नान स्टूडेन्ट यूथ) को भी इस स्काउटिंग के परिवेश में लाने का प्रयत्न किया जावेगा और युवकों में अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता की भावना लाने के लिए ग्रामीण रोवरिंग को प्रोत्साहन दिया जावेगा ।

16) राजस्थान की राजस्थानी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था वर्तमान में माध्यमिक कक्षाओं में राजस्थानी भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था है । यह भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में कक्षा 6 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ाई जावे इस हेतु प्रयत्न किया जा रहा है ।

17) इस सत्र में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 1456 रही, जिसमें 1227 विद्यालय छात्रों के तथा 229 विद्यालय छात्राओं के थी ।

18) इन विद्यालयों में कुल छात्र संख्या 5.35 लाख जिसमें 4.29 लाख छात्र तथा 1.06 लाख छात्रायें थी । अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है और इस प्रकार उनकी छात्र संख्या क्रमशः छात्र एवं 2 1 छात्रायें, 0.19 लाख छात्र व 0.01 लाख छात्रायें रही ।

19) प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय जाने वाले बालक/बालिकाओं का कुल प्रतिशत 14.1 रहा है जिसमें छात्रों का प्रतिशत 22.6 और छात्राओं का 4.9 रहा है ।

20) इन विद्यालयों में 26.45 हजार अध्यापक अध्यापन के कार्य से सम्बद्ध रहे इस संख्या में पुरुष अध्यापकों की संख्या 21.82 हजार तथा महिला अध्यापक की संख्या 4.63 हजार रही । जिसमें 23.55 हजार अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए थे, इस संख्या में 19.50 हजार पुरुष तथा 4.05 हजार स्त्रियाँ सम्मिलित है । प्रशिक्षित अध्यापकों का कुल प्रतिशत 89.0% रहा जिसमें 89.4 पुरुष अध्यापक व 87.6% महिला अध्यापक थी ।

21) इस वर्ष 167 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं के स्तर क्रमोन्नत किया गया। जिसमें 10 विद्यालय जन सहयोग के आधार पर क्रमोन्नत हुए। 52 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले गये।

(3) हस्तकला शिक्षाः

हस्तकला के प्रशिक्षणार्थ राज्य में पूर्व सत्र की भांति दो विशेष हस्तकला विद्यालय कार्य कर रहे थे। ये विद्यालय जयपुर और उदयपुर में स्थित है। इनमें विभिन्न प्रकार की कला और शिल्प की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में कुल छात्र संख्या 217 रही जिसमें 187 छात्र और 30 छात्राएँ अध्ययन कर रही थी और इस अध्ययन हेतु 26 अध्यापक कार्य कर रहे थे, जिसमें 24 पुरुष थे और 2 महिलाएँ थी।

(4) तकनीकी शिक्षाः

तकनीकी शिक्षा का आज के वैज्ञानिक युग में अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है - छात्रों को अपने रोजगार को स्वयं चुनने और भविष्य के लिए आस्थावान बनाने और स्वावलम्बन की भावना हेतु 6 पोलिटेकनिक और 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे थे। इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यथा विद्युत ड्राफ्ट्स मैन, कारपेन्टर, फिटर, मोटर यांत्रिकी, रेडियो, डीजल मैकेनिकल, वायरमैन, वेल्डर, टर्नर, पैन्टर, इलैक्ट्रीशियन, रेफ्रिजिरेटर मैकेनिक, शीट मैटल, स्टेनो मोल्डर आदि-2 के कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है - ताकि छात्र आत्म निर्भर क्षेत्र में प्रशिक्षित हो सके। इन 23 संस्थानों में 5022 छात्र अध्ययन कर रहे थे जिनको पढ़ाने हेतु 467 अध्यापक, अध्यापन का कार्य कर रहे थे।

(5) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय

अध्यापन कार्य भी एक कला है जिसमें निपुणता होने के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में विधिवत् प्रशिक्षण प्राप्त किया जावे। इस हेतु राज्य में 34 विद्यालय और 21 महाविद्यालय चल रहे थे। इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में कुल शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 9360 थी - जिसमें से 6663 छात्र और 2697 छात्राएँ थी। इस छात्र संख्या में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राएँ क्रमशः 951,38 एवं 504,

(6) मेडिकल शिक्षा संस्थान :

राज्य में विभिन्न शैक्षणिक ईकाईयों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति हेतु समुचित ध्यान दिया गया । इस वर्ष 18 प्रशिक्षण संस्थान, जिनमें जनरल नर्सिंग, मिडवाईफरी, कम्पाउंडिंग, रेडियोग्राफी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्य कर रहे थे । इस संस्थानों में कुल छात्र संख्या 1245 रही जिसमें 376 पुरुष प्रशिक्षणार्थी और 869 महिला प्रशिक्षणार्थी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इनमें अनुसूचित जाति के 12 छात्र, 5 छात्रायें तथा अनुसूचित जन जाति के 3 छात्र, 31 छात्रायें थी ।

इस छात्र संख्या को प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व 72 अध्यापकों पर था जिसमें 54 पुरुष अध्यापक और 18 महिला अध्यापक यह कार्य कर रहे थे ।

(7) संगीत एवं अन्य विशिष्ट शिक्षण संस्थान

इस सत्र में 11 संगीत विद्यालय रहे । इस विद्यालयों में 1229 छात्र संख्या थी जिसमें 485 छात्र और 744 छात्रायें रही । इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 99 अध्यापक थे जिसमें से 85 पुरुष अध्यापक और 16 महिला अध्यापिकायें शिक्षा देने का कार्य कर रही थी ।

क्र.स.	संस्था का नाम	छात्र संख्या			अध्यापक संख्या		
		छात्र	छात्रायें	योग	पुरुष	महिला	योग
1)	राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स, जयपुर ।	34	11	45	8	2	10
2)	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर	105	29	134	10	2	12
3)	ग्रामीण कॉलेज, डबोक, उदयपुर (कृषि)	420	-	428	7	-	7
4)	अन्ध एवं मूक बधिर विद्यालय (6 विद्यालय)	240	40	280	44	7	51

(8) <u>प्रकाशन कार्य:</u>

शिक्षा विभाग तुलनात्मक रूप से एक बड़ा विभाग है इसकी श्रृंखला बद्ध ईकाईयाँ दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है अतः सम्पर्क रूप में और प्रशासन सम्बन्धी कार्य में एकरूपता प्राप्त हेतु विभाग से नियमित रूप से पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है और विभागीय आदेश- यथावत् अन्य महत्वपूर्ण निर्णय और विभागीय सूचनाओं के साथ साथ शैक्षिक ज्ञान वर्धक सामग्री को इन प्रकाशनों में स्थान दिया जाता है । ये पत्रिकायें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और वे निर्णय जो भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को ज्ञात होने चाहिए । वे इन पत्रिकाओं द्वारा उन्हें प्राप्त होते है और वे इतने ही मान्य है जैसे अन्य राजकीय आदेश । अतः विभाग के इतिहास के संदर्भ में इन पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है ।

यहां इन पत्रिकाओं का संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है । प्रकाशन निम्नवत् रहे :-

1)	शिविरा/पत्रिका	मासिक
2)	नया शिक्षक	त्रैमासिक
3)	शिक्षक दिवस प्रकाशन	समयानुसार
4)	अन्य प्रकाशन	(क) जिला स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं की सूची
		(ख) राजस्थान में शिक्षा प्रगति के 25 वर्ष

(9) <u>खेल कूद और हमारे छात्र:</u>

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (बालिका) की तृतीय वेतन श्रृंखला की अध्यापिकाओं का शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर दिनांक 21-7-75 से 30-7-75 तक भरतपुर में संयुक्त निदेशक (महिला) द्वारा आयोजित किया गया जिसमें 38 अध्यापिकाओं ने भाग लेकर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगितायें दिनांक 6-10-75 से 9-10-75 तक भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित की गई ।

छात्र माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स एवं प्रदर्शनी प्रतियोगिता बून्दी में दिनांक 19-11-75 से 23-11-75 तक आयोजित की गई ।

21वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता (ओटम) का पूर्व प्रशिक्षण शिविर दिनांक 1-12-1975 से 13-12-75 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में आयोजित किया गया, यह प्रतियोगिता पटना में आयोजित की गई जिसमें राजस्थान की विद्यालयी टीमों ने भाग लिया और बास्केट बॉल (छात्र) में कांस्य पदक प्राप्त किया।

छात्र मिडिल स्कूल राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ 1975-76 दिनांक 3-12-75 से 5-12-75 तक जोधपुर में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित की गई।

छात्रा मिडिल स्कूल राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ 1975-76 दिनांक 3-12-75 से 6-12-75 तक जयपुर में संयुक्त निदेशक (महिलाएँ) जयपुर द्वारा आयोजित की गई।

21वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता (शीतकालीन) पूर्व प्रशिक्षण शिविर दिनांक 18-1-76 से 24-1-76 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया।

21वी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ (शीतकालीन) दिनांक 27-1-76 से 31-1-76 तक जालन्धर पंजाब में आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान ने नीचे लिखे अनुसार पदक प्राप्त किये।

(1) गोला फैंक स्वर्ण पदक (एक) तथा नया कीर्तिमान स्थापित किया

(2) तश्तरी फैंक स्वर्ण पदक (एक)

(3) वॉलीबाल (छात्रा) कांस्य पदक (एक)

सिनियर वर्गीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जयपुर में दिनांक 9-2-76 से 12-2-76 तक संयुक्त निदेशक (पुरुष) जयपुर द्वारा आयोजित की गई।

शिक्षा विभाग द्वारा माह मार्च-अप्रैल, 1976 में बीकानेर स्टेडियम अधिग्रहण किया गया तथा स्टेडियम में खेलकूद के मैदानों के निर्माण हेतु 60 हजार रुपये की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा करवाई गई और इस राशि से मैदान तैयार कराये गये।

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा माउण्ट आबू में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर में सभी खेलों के प्रतिभावान खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया ।

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण राज्य में खेलकूद गतिविधियों का दर्पण है । राजस्थान राज्य सदैव देश के खेलकूद जगत में अग्रणी रहा है और राज्य सरकार विशेष रूप से इस क्षेत्र में जागरूक है ।

(10) विविध कार्यः

(1) विद्यालयों की साज सज्जा एवं विज्ञान उपकरणों के क्रय हेतु विभाग द्वारा 51 फर्मो का पंजीकरण किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि फर्मों का पंजीकरण करने हेतु उप सत्र में अक्टूबर माह में एक विज्ञापन निकाला जावे तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की कमियों की पूर्ति मार्च माह तक करवा कर मई में पंजीकरण संबंधी समिति बुला कर फर्मों को पंजीकृत करने सम्बन्धी कार्यवाही की जावे ।

(2) क्रय अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन के आधार पर जो क्रय किया जाता है तथा जो खरीद 5000/- रू0 से अधिक की होती है उसके सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृतियाँ दी जाती है । स्वीकृति के प्रकरण सही एवं पूर्ण अवस्था में प्राप्त हो इसलिए इस सम्बन्ध में इस अनुभाग से परिपत्र क्रमांक शिविरा/लेखा/क्रय/डी-3/26406/74-75/ दिनांक 22-1-75 द्वारा आवश्यक निर्देश भी जारी किये है फलस्वरूप निदेशालय के सहायता से दीजाने वाली स्वीकृति के प्रकरण पूर्ण अवस्था में प्राप्त होने लग गये है ।

(3) कर्मचारियों के पेंशन, पी0एफ0 तथा सी0पी0एफ से संबंधित समस्त कार्य इस निदेशालय द्वारा सम्पादित होता है तथा पेंशन की अन्तिम स्वीकृति, प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल फैमिली पेंशन के भुगतान की स्वीकृतियाँ जारी करने का कार्य, एवं जी0पी0 एफ0 खातों के अन्तिम भुगतान इन में से अग्रिम उधार आदि का कार्य भी निदेशालय द्वारा होता है । पूरे विभागीय स्तर पर पेंशन प्रकरणों की प्रगति की देख रेख की जाती है व अभिगस्थ कर्मियों के समक्ष इस बारे में आने वाले कठिनाईयों की शिकायतों का निस्तारण भी किया जाता है । इस सत्र में निम्न मामले प्राप्त एवं निपटाये गये :-

दिनांक 1-4-75 को बकाया मामले	504
सत्र 75-76 में नवीन प्राप्त मामले	926
कुल योग	1430
निपटाये गये मामलों की संख्या	803
दिनांक 31-3-76 को शेष बचे	627

(4) विभिन्न वेतनमानों के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी कार्य, इस बारे में विभागीय स्तर से स्पष्टीकरण आदि जारी करने का कार्य सम्पादन निदेशालय द्वारा किया जाता है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न स्पष्टीकरण भी प्रसारित किये जाते है । वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी कार्य को शीघ्रता व सुविधा से निपटाने हेतु कुछ मण्डल स्तरीय कार्यालयों पर जांच दल बने हुए है जो उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्य का निपटारा करते है । विभागीय स्तर पर बकाया विभिन्न मूल स्थिरीकरण प्रकरणों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है:

दिनांक 1-4-75 को शेष मामले	129
सत्र 75-76 में प्राप्त नवीन मामले	-
कुल योग	129
निपटाये गये मामलों की संख्या	26
31-3-1976 को शेष बचे	103

(5) विभिन्न प्रकार के कालातीत दावों की स्वीकृति जारी करना, उनकी प्रगति पूर्व परीक्षण, उसे संकलित करना, विभिन्न नियमों, उप नियमों के बारे में स्पष्टीकरण जारी करना व वित्तीय शक्तियों के हस्तान्तरण के कार्य इस निदेशालय द्वारा किया जाता है । विभिन्न नियमों के अन्तर्गत विभागीय अधिनस्थ अधिकारियों को और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव भी राज्य सरकार को निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किये जाते है । इस सत्र में दावों की स्थिति निम्न प्रकार रही :-

दिनांक 1-4-75 को बकाया मामले	3009
सत्र 75-76 में प्राप्त नये मामलों की संख्या	1136
कुल योग	4145
इस सत्र में निपटाए गये मामले	2043
कुल शेष बचे मामलों की संख्या	2102

(6) राष्ट्र की विकास योजनाओं में अल्प बचत का स्थान महत्वपूर्ण है। छोटी-2 राशियाँ मिल कर विस्तृत रूप लेलेती है। अतः इस हेतु इसे प्रोत्साहन देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों, शिक्षण शालाओं के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं से सम्पर्क स्थापित करने के साथ साथ कार्य को बढ़ाने हेतु मार्ग दर्शन किया गया। इस सत्र में विद्यार्थियों द्वारा सी.टी डी. एवं आर.डी. खातों की संख्या 9300 रही जिसमें कुल राशि 1,33,587 थी। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों द्वारा खोले गये सी.टी.डी एवं आर.डी. खातों की संख्या 60342 व इन खातों की कुल राशि 40,62,629 विनियोजित की गयी।

(7) समय समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षणार्थ शिविरों का आयोजन किया जाता है और उन्हें अपने विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सत्र में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:

(अ) ग्रीष्म कालीन शिविर

विषय	शिविर संख्या	संभागियों की संख्या	
हिन्दी	3	50 संभागी प्रति शि.	
क्राफ्ट	1	,,	,,
अंग्रेजी	3	,,	,,
विज्ञान एवं गणित	4	,,	,,
सामाजिक ज्ञान	1	,,	,,
प्रधानाध्यापकों के शिविर	4	,,	,,
यूनिसेफ के शिविर	15	,,	,,

(ब) प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण शिविर

शिविर स्थान	संभागियों की संख्या
1) राज. शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय अजमेर	47
2) राज. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर	48
3) राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर	47

(स) अविरत प्रशिक्षण केन्द्र टोंक (उच्च प्राथमिक स्तर के)

बैचों की संख्या	अवधि	प्रत्येक बैच में प्रतिनियुक्ति
4	4 सप्ताह	50 प्रति बैंच

(8) शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विद्यालयों, विशेष संस्थानों/छात्रावासों को अनुदान दिया जाता है और साथ साथ निदेशालय द्वारा भी इन संस्थाओं को सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है ताकि राजकीय विद्यालयों के समानान्तर ये संस्थाएँ भी अपना योग दान दे सकें, इस वर्ष में 955 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक उच्च प्राथमिक/प्राथमिक/विशेष संस्थान/ छात्रावास/ व अन्य विशेष शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया गया, इस हेतु बजट में निम्न प्रावधान रखा गया ।

277 शिक्षा बजट	राशि (लाखों में)
(अ) प्राथमिक	
स. गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता	
I. गैर सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय(छात्र)	
(i) नियमित छात्र विद्यालय	31.73
II. गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रायें)	
(i) नियमित छात्रा विद्यालय	18.58
III गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय	
(i) छात्र विद्यालय	33.79
(ii) छात्रा विद्यालय	11.03
(IV) गैर सरकारी विशेष विद्यालय	28.86
(ब) माध्यमिक	
(ब) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सहायता	149.45
(ई) विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा	
(बी) गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता	
I) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	10.45

(9) निदेशालय द्वारा निम्न वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है ।

क्र0सं0	वरिष्ठ सूची का विषय	सूचियों के प्रकाशित करने की तिथि	
		अस्थाई	स्थाई
1	1-11-56 से 31-8-56 तक द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापिकाओं की तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की वरिष्ठता सूची	11-3-75	20-5-75
2	1-11-56 से 31-8-76 तक द्वितीय वेतन श्रृंखला के पुरुष अध्यापकों की तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की वरिष्ठता सूची	11-3-75	2-6-75
3	वरिष्ठ अध्यापक(महिला) 1-11-56 से 30-6-66 तक की वरिष्ठता सूची	11-3-75	13-5-75
4	वरिष्ठ अध्यापक (पुरुष) 1-11-56 से 30-6-66 तक की वरिष्ठता सूची	11-3-75	20-5-75
5	एफ ग्रुप के अधिकारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची 1-1-50 से (विलीनकरण) 14-1-76 तक	12-2-74	2-9-74
6	शारीरिक शिक्षा (पुरुष एवं महिला) अधिकारियों की सूची	9-4-75	3-9-75
7	1-7-66 पर कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका माध्यमिक विद्यालय एवं उ0मा0वि0 की पृथक अस्थाई वरिष्ठता सूची	21-5-76	-
8	1-7-66 पर कार्यरत प्रधानाध्यापिकाओं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थाई वरिष्ठता सूची	-	17-6-76
9	1-7-66 पर कार्यरत प्रधानाध्यापिकाओं की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थाई वरिष्ठता सूची	-	22-6-76
10	1-7-66 पर कार्यरत प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिकाओं की माध्यमिक/विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संप्रेक्षित वरिष्ठता सूची	24-6-76	19-7-76

10) शिक्षितों में बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की थी जिसमें राष्ट्र के प्रबुद्ध शिक्षा विदों के अतिरिक्त श्री श्रीमन्नारायण, डा.डी.एस.कोठारी तथा केन्द्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को जुलाई, 1975 में प्रेषित कर दिया। इस समिति की उन सिफारिशों पर, जिनमें विशेष वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जैसे परीक्षा प्रणाली में सुधार, शारीरिक शिक्षा की अनिवार्यता, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, कक्षा 8 तक बिना पूर्व परीक्षा पास किये योग्यता के आधार पर प्रवेश, कार्यानुभव एवं उद्योग शिक्षा की प्राथमिकता, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाना आदि पर अमल प्रारम्भ कर दिया है जिन सिफारिशों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता है उनके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हो जाने पर कार्य किया जायेगा।

11) शिक्षकों के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता रहे तथा पूर्ण रूप से अनुशासन में रहते हुए अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते रहे। इस हेतु जिलों में शिक्षा अधिकारियों द्वारा अचानक दौरों एवं निरीक्षणों की गति बढ़ा दी गई है तथा कर्तव्य विमुख अनुशासन हीन अध्यापकों एवं कर्मचारियों को तुरन्त सजा दी गई।

12) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 328 अध्यापकों का तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 324 अध्यापकों का चयन किया गया और उनके प्रशिक्षण के लिए अजमेर, बीकानेर व उदयपुर में प्रशिक्षण शिविर लगाये गये जिससे वे अधिक सफल प्रधानाध्यापक प्रमाणित हों।

13) राज्य शिक्षण संस्थान, उदयपुर ने अनेक अनुसंधानात्मक योजनाएँ इस वर्ष पूरी की इस वर्ष यूनिसेफ के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस संस्थान को प्रदान किये गये।

14) राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में अनेक अनुसंधान एम0एड0 तथा पी0एच0डी स्तर पर हुए है। किन्तु उनका लाभ सामान्य अध्यापकों एवं विद्यालय तक नहीं पहुँच पाया है। इन शोध कार्यों का लाभ अध्यापकों एवं विद्यालयों तक पहुँच सके इस हेतु शिक्षा विभाग में शोध का सार "राजस्थान में शिक्षा अनुसंधान" ग्रन्थ में संकलित किया है जो कि शीघ्र ही प्रकाशित किया जा रहा है।

12) <u>शिक्षा का बजट</u>

शिक्षा प्रगति का विश्लेषण बजट के परिप्रेक्ष्य में सुगमता से किया जा सकता है । शिक्षा बजट में प्रतिवर्ष की वृद्धि का स्वरूप इस बात की ओर संकेत देता है कि राज्य में शिक्षा का विस्तार द्रुत गति से हो रहा है । राज्य सरकार इस क्षेत्र में जागरूक है । इस सत्र में शिक्षा का बजट प्रावधान निम्नवत् रहा ।

(रूपये लाखों में)

मद	वास्तविक व्यय 1974-75	अनुमानित बजट 75-76	संशोधित बजट 75-76	वास्तविक 75-76
आयोजना मत	6423.51	6660.38	7152.55	7225.43
योजना मत	372.09	661.83	614.85	622.88
आय (प्राप्तियाँ)	138.31	139.60	503.60	499.20

13) "शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, "शिक्षक को न भूलिये" के प्रसरण के साथ शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत करके उन्हें प्रोत्साहन के साथ साथ इस रोजगार को सम्माननीय बनाया गया है तथा प्रतिभाओं को इस क्षेत्र में आने का निमंत्रण दिया गया है । इस सत्र में तीन अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है और 30 अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य स्तर पर सम्मान दिया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान पाने वाले अध्यापक निम्न है :-

* श्री श्याम शरण शर्मा,

** श्री बंशी लाल शर्मा

*** श्री कमलेन्द्र मोहन बोहरा

अन्त में, इस सत्र में उपरोक्त उपलब्धियाँ प्राप्त की गई और जो प्रयास किया जा रहा है । वह अनुशासन के धरातल पर और कठोर परिश्रम का सुपरिणाम है । अतः यह आशा की जाती है कि आगामी सत्रों में शिक्षा क्षेत्र में निरन्तर उन्नति, वृद्धि प्राप्त हो सकेगी और इस क्षेत्र में और अधिक चहुँमुखी विकास की सम्भावनायें प्रबल है ।